झारखण्ड सरकार
वाणिज्य–कर विभाग

पत्र संख्या – वा0कर1/वैट/विविध/5/2008– 2293 /राँची, दिनांक –03/9/09

प्रेषक,

श्रीमती अलका तिवारी,
सचिव सह आयुक्त,
वाणिज्य–कर विभाग,
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

सभी वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)/(अपील),
सभी अंचल प्रभारी।

विषयः– झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 74 तथा झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर नियमावली 2006 के नियम 14 (12) (i) के अधीन ऑन–लाईन विवरणी समर्पित करने एवं तत्संबंधी मार्गदर्शन एवं प्रक्रिया के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि राज्य में दिनांक 01.04.2006 से बिक्री कर व्यवस्था के स्थान पर मूल्यवर्द्धित कर प्रणाली लागू की गयी है। मूल्यवर्द्धित कर प्रणाली के अधीन स्वचालन (Automation) पर विशेष महत्व दिया गया है ताकि स्वतः–स्फूर्त, पारदर्शी, राजस्वोन्मुखी तथा व्यवसायी अनुकूल (Dealers-friendly) कर व्यवस्था स्थापित की जा सके। उक्त स्वचालित प्रक्रिया के क्रियान्वयन के क्रम में, विभागीय प्रक्रियाएं यथा निबंधन प्रमाण पत्र निर्गत करना, वैधानिक प्रपत्रों का निर्गमन तथा संबंधित उपयोगिता विवरणी (Utilisation statement) प्राप्त करना, विवरणियॉ समर्पित करना तथा कर भुगतान को कम्प्यूटर जनित प्रक्रियाओं में परिवर्त्तित करना आवश्यक है। उक्त प्रक्रिया के क्रम में विभाग द्वारा दिनांक 15.09.2009 के प्रभाव से ऑन–लाईन विवरणी समर्पित करने की योजना बनायी गयी है।

झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर नियमावली 2006 के नियम 14 (12) (i) के प्रावधान के आलोक में ई–फाइलिंग (मूल एवं पुनरीक्षित विवरणियों) के उदेश्य हेतु निम्न मापदण्ड तथा प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :–

1. ई–फाइलिंग की व्यवस्था झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 29 के साथ पठित झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2006 के नियम 14 के अधीन प्रावधानित मानी जायेगी।

2. सर्वप्रथम ई–फाइलिंग की व्यवस्था ऐसे निबंधित व्यवसायियों के लिए **अनिवार्य** की जायेगी जिनका वार्षिक सकल आवर्त्त एक करोड़ से अधिक है । क्रमिक रूप से शेष व्यवसायी भी उक्त योजना में शामिल हो सकेंगे।

3. प्रारंभ में चिन्हित व्यवसायियों के लिए पहली बार विभाग द्वारा पहचान संख्या/पासवर्ड (Identification Number / Password) निर्गत किये जायेंगे। व्यवसायी संबंधित अंचल प्रभारियों से उक्त पहचान संख्या/पासवर्ड (Identification Number/Password) सीलबंद लिफाफे में प्राप्त कर सकते हैं।

4. उपर्युक्त तरीके से प्राप्त पहचान संख्या/पासवर्ड (Identification Number/Password) की सहायता से, पहली बार व्यवसायी विभागीय वेबसाईट http://jharkhandcomtax.nic.in या http://www.jharkhand.gov.in के पते पर Login कर सकते हैं। तदोपरांत व्यवसायी को अपना पासवर्ड परिवर्त्तित करना होगा अन्यथा वे ई–फाइलिंग नहीं कर पायेंगे। । इस प्रासंगिक प्रकिया की पूरी जानकारी **online e-filing User Manual** के रूप में उपरोक्त वेबसाईट पर भी उपलब्ध है जिसे डाउनलोड किया जा सकता है। भविष्य में, व्यवसायी अपनी इच्छानुसार पासवर्ड में परिवर्त्तन कर सकते हैं। उक्त पासवर्ड एक अत्यधिक सुरक्षित तथा गोपनीय कोड/मापदण्ड है जिसकी सुरक्षा/गोपनीयता की सम्पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित व्यवसायी की ही होगी। व्यवसायी द्वारा पासवर्ड के भूल जाने की स्थिति में, सॉफ्टवेयर द्वारा कतिपय जानकारियॉं प्राप्त कर पुनः पासवर्ड निर्गत करने की व्यवस्था है।

5. ई–फाइलिंग प्रणाली के अधीन व्यवसायी विवरणी समर्पित करने के उदेश्य से विहित प्रपत्र JVAT 213, (मासिक विवरणी) JVAT 214 (मासिक विवरणी) एवं JVAT 200 (त्रैमासिक विवरणी) में अपनी विवरणी विभाग को समर्पित कर सकेंगे। व्यवसायियों द्वारा अलग से हार्ड कॉपी में उपर्युक्त विवरणियों को समर्पित करना अपेक्षित नहीं होगा। व्यवसायियों द्वारा झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर नियमावली के नियम 14 (11) के अधीन वार्षिक विवरणी समर्पित करने के साथ–साथ ई–फाइलिंग के माध्यम से दाखिल त्रैमासिक विवरणियों (JVAT 200) की हस्ताक्षरित प्रति भी समर्पित करनी होगी।

6. ई–फाईलिंग के उदेश्य हेतु निर्धारित तिथियॉं, नियम 14 में विहित तिथियों के समान रहेंगी। विहित समय पर विवरणियों की ई–फाईलिंग नहीं करने की परिस्थिति में धारा 30 (1) (c) के प्रावधान लागू होंगे तथा प्राधिकृत पदाधिकारी इस आशय तक विधि सम्मत कार्रवाई करने हेतु स्वतंत्र एवं सक्षम होंगे।

7. वर्त्तमान में ई–फाईलिंग से संबंधित सॉफ्टवेयर में वार्षिक विवरणी को समर्पित करने का प्रावधान विहित नहीं किया जा रहा है परन्तु भविष्य में, उक्त व्यवस्था में भी यथाआवश्यक संशोधन/परिवर्तन किया जा सकेगा।

इसके अतिरिक्त समय–समय पर ई–फाईलिंग व्यवस्था की प्रकिया में यथाआवश्यक संशोधन/परिवर्तन करने हेतु मार्गदर्शन निर्गत किया जा सकेगा।

विश्वासभाजन

a. Tiwari 3/9/09

सचिव सह आयुक्त,
वाणिज्य–कर विभाग,
झारखण्ड, रॉंची।